



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 143546202602720

ग्राम क्रमांक : 143546 ग्राम का नाम (परामना) : सैबई (बिजनौर) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) पान : 1 (1) खाता संख्या : 00243

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
346	1) शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. / द्वारा दायरेवर विमल कुमार / कार्या. सी- 2195 इन्दिरा नगर लखनऊ 2) मेंहदीहसन / दीना / नि.ग्राम सेबई पर. बिजनौर लखनऊ		पू1373क	346(1435460346000012)	0.0100			32.00	
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.0100 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 32.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)									
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)			

1) राजस्व निधिक / 2018901046050553 / 16-05-2018 / वरासत / NARENDRA KUMAR MISHRA / 04-03-2024	1.1) मेहदीहसन / दीना / नि.ग्राम सेवई पर. विजनौर लखनऊ (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	346(1435460346000012)	1.1) 0.0000	1.1) अनवर अली / मेहदी हसन / नि. ग्राम सेवई पराना विजनौर लखनऊ 1.2) सकरौ / मेहदी हसन / नि. ग्राम सेवई पराना विजनौर लखनऊ 1.3) श्रीमती हसीना / मेहदी हसन / नि. ग्राम सेवई पराना विजनौर लखनऊ	346(1435460346000012)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000 1.3) 0.0000
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :						
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति						
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :						
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :						
(19) अप्रयुक्ति :						
पूर्व आदेशों का विवरण						
1) आदेश रा.नि.विजनौर द्वारा आर.सी.9ख चाद सं. 553/16.05.18 खाता सं. 242,243 पर अंकित मृतक खातेदार मेहदी हसन पुत्र स्व. दीना के स्थान पर अनवर अली, सकरौ पुत्रगण मेहदी हसन व श्रीमती हसीना पत्नी मेहदी हसन नि. ग्राम सेवई पराना विजनौर लखनऊ का नाम बदले वारिस दर्ज हो। ह.र.का. 30.06.18						
2) आदेश तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ चाद सं. 345/5328/1201910460511482/21.11.19 गाटा सं. 424 रकबा 0.6000हे. में से 1/3 भाग रकबा 0.2000हे. मा.गु. 60ख से विक्रेता अनवर अली व सकरौ पुत्रगण पुत्रगण स्व. मेहदी हसन व श्रीमती हसीना पत्नी स्व. मेहदी हसन नि.गण ग्राम सेवई पराना विजनौर लखनऊ का नाम निरस्त करके भेता शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. कार्यालय लखनऊ द्वारा डायरेक्टर विमल कुमार पुत्र दिलीप कुमार नि-सी. 2195 इन्दिरानगर का नाम बदले सं.भू. द्वारा बैनामा दि. 26.08.19 अंकित किया जाये ह.र.का. 10.12.2019						
3) आदेश उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ चाद सं.टी-202110460505241 ता.फै.25.3.2021 शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम उ.प्र.सरकार अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 ग्राम सेवई की खाता सं.235 पर अंकित गाटा सं.404 रकबा 0.2180हे. व गाटा सं.400 रकबा 0.0105हे. व गाटा सं.407 रकबा 0.0925हे. व खाता सं.163 पर अंकित गाटा सं.403 रकबा 0.2510हे. व खाता सं.243 पर अंकित गाटा सं.424 रकबा 0.600हे. कुल 6किता रकबा 1.2555हे. शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. कार्यालय इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा डायरेक्टर विमल कुमार पुत्र दिलीप कुमार नि.सी.2195 इन्दिरा नगर लखनऊ मा.गु.60ख को आकृषिक घोषित किया जाता है अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्णय लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे परन्तु आदेश की घोषणा के त्रिमास के अंतुसार ही अनुमन्य होगा यदि भूमि पर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उ.प्र.रा. संहिता संशोधन अध्यादेश 2019 के अनुसार धारा 80 रा.संहिता की उपधारा (2) के अन्वये जात मा.उसके आर्थिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।						
Data Digitally Signed by:NARENDRA KUMAR MISHRA(REVENUE KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 02-02-2026 12:41:59 बलरील : सरोजनी नगर यह उत्तरपत्र खतनी इलेक्ट्रॉनिक डिकीटरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। सुनिश्चित कर्ता : AJAY SHUKLA बलरील : सरोजनी नगर सुनिश्चित दिनांक एवं समय: 02-02-2026 12:41:59 Not Applicable For Online Printas जहाँ जहाँ खतनी का क्षेत्रिकेशन https://upbhublek.gov.in Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है। NATIONAL INFORMATION CENTRE						